

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
भारत सरकार
कोच्ची-25

**गुना के मसाला पार्क में अपनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु
निर्यातकों को ज़मीन पट्टे पर देने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति**

स्पाइसेस बोर्ड, मसालों के निर्यातक के रूप में स्पाइसेस बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों से, गुना के मसाला पार्क में अपनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु ज़मीन पट्टे पर देने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.indianspices.com देखें ।

निदेशक(विपणन)

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पालारिवट्टम
कोच्ची-682025
केरल

**मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों को गुना के मसाला पार्क में
जमीन पट्टे पर देने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है**

स्पाइसेस बोर्ड, मध्य प्रदेश के गुना के मसाला पार्क में पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित जमीन में मसालों व मसाला उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग आदि की इकाइयों की स्थापना के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करता है। बोर्ड द्वारा, सड़क, जलनिकास, पानी, बिजली, भोजनालय, बैंकिंग आदि सहित आम अवसंरचना सुविधाओं वाले एक स्वतः पूर्ण एन्क्लेव के रूप में मसाला पार्क का विकास किया गया है।

पट्टे पर दी जानेवाली जमीन का सीमांकन एक-एक एकड़ आकार में किया गया है। एक बारगी विकास-शुल्क और निर्धारित वार्षिक पट्टा-किराए के भुगतान पर 30 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए, निष्पादन और आपसी करार के आधार पर आगे की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के प्रावधान के साथ, जमीन पट्टे पर दी जाएगी।

उपर्युक्त मसाला पार्क में जमीन लेने के इच्छुक व्यक्ति **निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025, केरल** को अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति नीचे दिए गए प्रपत्र में **31-03-2018 तक या उससे पहले** भेजें। अभिरुचि की अभिव्यक्ति और जमीन की उपलब्धता के आधार पर बोर्ड मासिक आधार पर, प्राप्त ई ओ आई पर विचार करेगा और निर्यातकों को पात्रता के अधीन जमीन आबंटित करेगा।

1	कंपनी का नाम	
2	स्पाइसेस बोर्ड रजिस्ट्रीकरण संख्या (मसालों के निर्यातक के रूप में)	
3	संपर्क व्यक्ति	
4	फोन व इ-मेल सहित पता	
5	अपेक्षित प्लॉटों की संख्या/ क्षेत्र एकड़ में	
6	प्लॉटों की संख्या की प्राथमिकता, यदि है तो	

पट्टे के सामान्य निबंधन व शर्तें

पट्टे की अवधि पट्टा-करार के निष्पादन के दिन से प्रारंभ होकर 30 वर्ष (तीस वर्ष) की है, जिसका पट्टाकर्ता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच के आपसी करार के आधार पर आगे विस्तार किया जा सकता है।

पट्टेदार द्वारा, हर साल बिना चूक के, अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में या उससे पहले पट्टा-किराए के रूप में

पट्टाकर्ता को एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। वार्षिक पट्टा-किराया प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1000/- रुपया निर्धारित किया गया है।

पट्टेदार द्वारा, पट्टाकर्ता को पट्टे की जमीन के लिए प्रति एकड़ 5.00 लाख रुपए का एकबारगी अप्रतिदेय विकास- शुल्क दिया जाना चाहिए ।

पट्टेदार को करार की तारीख के 60(साठ) दिनों के अंदर प्लॉट को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए और पट्टेदार द्वारा पट्टे की जमीन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और मसालों व मसाला आधारित उत्पादों के उत्पादन/विनिर्माण तथा मसालों से संबंधित ऐसे अन्य क्रियाकलापों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजनों के लिए प्लॉट का उपयोग व उस पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए।

पट्टेदार करार की तिथि से छह महीने के अंदर ही ढांचे का निर्माण कार्य / उद्योग प्रारम्भ करेगा और आबंटन की तिथि से दो वर्ष के अंदर उसे पूरा करेगा, ऐसा न करने पर पट्टाकर्ता अदा की गई पट्टा-राशि व विकास-शुल्क को ज़ब्त करते हुए जमीन का आबंटन रद्द करने का अधिकार रखता है।

यदि पट्टेदार के लिए आबंटित जमीन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए उसका आबंटन किया गया था या पट्टेदार प्लॉट के आबंटन की तिथि से 2 (दो) वर्ष की अवधि के अंदर प्लॉट में वाणिज्यिक उत्पाद / इकाई का परीक्षण-उत्पादन शुरू करने में असफल रहता है या अगर पट्टेदार हड़ताल या तालाबंदी या मुकदमेबाजी के किसी भी कारणवश लगातार 6 (छः) महीने की अवधि के लिए उत्पादों का निर्माण और / या गतिविधियों को चलाना समाप्त करता है, तो पट्टाकर्ता पट्टे पर हस्तांतरित परिसर और उसके सभी स्थानों में पुनः प्रवेश कर सकता है, साथ ही सर्वदा यह भी है कि पट्टा पूरी तरह रद्द करने और ऊपर कहे अनुसार पट्टे पर हस्तांतरित परिसर में पुनः प्रवेश करने के अधिकार के अलावा पट्टाकर्ता को, जैसेकि पट्टाकर्ता द्वारा उचित समझी जानेवाली राशि, जोकि पट्टेदार से उचित रूप में वसूलीयोग्य हो, मुआवजे के तौर पर वसूल करने का अधिकार होगा।

केवल मसाला पार्क में जमीन पाने के इरादे से और ईओआई प्रस्तुत करने की तिथि को विधिमान्य सीआरईएस के बिना आने वाले आवेदकों को सख्त निरुत्साहित किया जाता है।

बोर्ड, किसी भी / सभी ईओआई आवेदनों को बिना कोई कारण बताए , अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

विस्तृत निबंधन और शर्तों को पट्टा-करार में शामिल किया जाएगा और बाद में सूचित किया जाएगा।

जमीन संबंधी विवरण / मसाला पार्क के दौरे से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए मसाला पार्क के निम्नलिखित प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है :

मसाला पार्क, गुना : प्रभारी अधिकारी

मसाला पार्क

मावन ग्राम व पोस्ट
गुना, मध्य प्रदेश
टेली : 0754-284151
इ-मेइल : spicesboardguna@gmail.com

संपर्क विवरण

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंध भवन
पालारिवट्टम पी ओ
कोच्ची-682025, केरल
इ-मेइल : dm.sb-ker@gov.in
टेली : 0484-2333607

निदेशक (विपणन)